Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 174-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 13, 2025 (ASVINA 21, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2025

संख्या 11/16/2016–4श्रम.— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 63) की धारा 112 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना संख्या 11/16/2016–4श्रम, दिनांक 19 अगस्त, 2025 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब कारखाना नियम, 1952 हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. ये नियम पंजाब कारखाना (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब कारखाना नियम, 1952 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 14 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(1) इन नियमों के अधीन लागू समुचित फीस, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के अधीन "0230–श्रम एवं रोजगार–104" लेखा के अधीन ऑनलाइन ढंग के माध्यम से भुगतान की जाएगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 102 में;-

(i) अनुसूची II में, पैरा 3 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) अनुसूची III में, पैरा 3 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) अनुसूची IV में, पैरा 4 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) अनुसूची VI में, पैरा 4 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) अनुसूची VII में, पैरा 1 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) अनुसूची X में, पैरा 4 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vii) अनुसूची XI में, भाग IX में, पैरा 1 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(viii) अनुसूची XII में, पैरा 5 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ix) अनुसूची XVII में, पैरा 8 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(x) अनुसूची XVIII में, पैरा 15 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xi) अनुसूची XIX में, पैरा 8 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xii) अनुसूची XX में, पैरा 5 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवत महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(xiii) अनुसूची XXII में, पैरा 6 में, "महिला" शब्द के स्थान पर, "गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राजीव रंजन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 13th October, 2025

No. 11/16/2016-4Lab.— In exercise of the powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), and with reference to the Haryana Government, Labour Department, notification No.11/16/2016-4 Lab, dated the 19th August, 2025, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Factory Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Factories (Haryana Amendment) Rules, 2025.

2. In the Punjab Factories Rules, 1952 *(hereinafter called the said rules)* ,in rule 14, for sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) Applicable appropriate fee under these rules shall be paid by online mode under the head of accounts "0230-Labour and Employment-104" under the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948)".

3. In the said rules, in rule 102, -

(i) In Schedule II, in para 3, for the word "women", the words and sign "pregnant women, lactating mother" shall be substituted.

(ii) In Schedule III, in para 3, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(iii) In Schedule IV, in para 4, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(iv) In Schedule VI, in para 4, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(v) In Schedule VII, in para 1, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(vi) In Schedule X, in para 4, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(vii) In Schedule XI, in part IX, in para 1, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(viii) In Schedule XII, in para 5, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(ix) In Schedule XVII, in para 8, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(x) In Schedule XVIII, in para 15, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(xi) In Schedule XIX, in para 8, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(xii) In Schedule XX, in para 5, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

(xiii) In Schedule XXII, in para 6, for the word "women", the words "pregnant women or lactating mother" shall be substituted.

RAJEEV RANJAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

12173—C.S.—H.G.P., Pkl.